



संशोधित

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजर्षि दशरथ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या।

पत्रांक:- मे0का0अ0 / विज्ञापन / 2025 / 2346

दिनांक: 13 सितम्बर 2025

कार्यालय ज्ञाप

राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित।

राजर्षि दशरथ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या उ0प्र0 में एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों की पूर्ति हेतु रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या के चयन समिति के स्तर से किया जायेगा। चयन की प्रक्रिया एन0एम0सी0 मानकों की अद्यतन संस्तुति के अनुसार दिनांक 16.09.2025 से राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या में प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे से सायं 02:00 बजे तक प्रत्येक मंगलवार को सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों।

नवीनतम शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू होगा। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मिलित हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे। जिन विभागों में आचार्य के पद हैं उन विभागों में आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर आचार्य के सापेक्ष सह-आचार्य एवं सह-आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर सह-आचार्य के सापेक्ष सहायक आचार्य की भर्ती की जा सकती है। पदों की अद्यतन स्थिति एवं समस्त विवरण www.asmcayodhya.ac.in पर उपलब्ध है।

S. No.	Name of Specialization	Professor		Associate Professor		Assiatant Professor	
		No of Post	Category	No of Post	Category	No of Post	Category
1	Obs & Gynae	01	UR	-	-	-	-
2	Emergency Medicine	01	UR	01	UR	02	SC-01 OBC-01
3	Anaesthesia	01	UR	01	UR	02	OBC-01 SC-01
4	ENT	01	OBC	01	SC	-	-
5	Community Medicine	-	-	01	UR	01 UHTC 01 RHTC	SC-01 OBC-01
6	General Medicine	01	EWS	01	UR	01	SC
7	General Surgery	-	-	01	OBC	01	OBC
8	Paediatrics	01	OBC	-	-	-	-
9	PMR	01	UR	-	-	01	SC
10	Forensic Medicine	-	-	01	SC	-	-
11	Microbiology	01	OBC	-	-	01	OBC
12	Radiotherapy	01	SC	-	-	01	EWS
13	Pathology	-	-	01	UR	-	-
14	Pharmacology	-	-	01	OBC	-	-
15	Physiology	-	-	-	-	01	UR
Total		09	-	09	-	12	-

S. S. S.

संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत् है:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन मानदेय रू0 2,20,000.00/प्रतिमाह, सह-आचार्यों का नियत वेतन मानदेय रू0 1,60,000.00/प्रतिमाह तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन मानदेय रू0 1,20,000.00/प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Counselling of India, Minimum Qualification for Teacher in Medical Institutions, 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी भी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
3. शासनादेश संख्या-2282/71-1-2013-जी0-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70वर्ष होगी।
4. शासनादेश संख्या-562/71-1-2020-जी063/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह-आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
5. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomous State Medical College Uttar Pradesh, Principal and Teacher's (Recruitment & other Condition of services) Model Rule 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
6. ड्यूटी अवधि में किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाएं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होंगा।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की सेवाये नियमित चिकित्सा शिक्षकों के नियुक्त होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर 01 माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवाये संतोषजनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति पत्र जारी होने के 15 दिवसों के भीतर संबंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्त स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षको की कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन व महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक की कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेन्शन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष के द्वारा और किसी भी समय 01 माह की अग्रिम सूचना या 01 माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको के अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य या कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

17. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी देना होगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।
18. किसी भी आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
20. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।

पत्रांक—मे0का0अ0 / विज्ञापन / 2025 / **2346**

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-03, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशक की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित की उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें तथा साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
5. आई0टी0 सेक्शन को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त विज्ञप्ति को चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या की वेबसाइट www.asmcayodhya.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, उ0प्र0।
7. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
8. गार्ड फाइल।


प्रधानाचार्य
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।